समक्ष – सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति....

प्रीलिटिगेशन प्र.क्र.....

शाखा.....
जिला .....
द्वारा.....(श्री या पदनाम).....

सक्षम अधिकारी..... ..... आवेदक

वि रू द्ध

नाम .....
पिता का नाम .....
पता .....
.....
जिला .... अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 19(5) (ii) एवं 20 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987ए वास्त विवाद का प्रीलिटिगेशन स्तर पर लोक अदालत के माध्यक से निराकरण किये जाने बाबत् ।

वादपत्र (प्री–लिटिगेशन वाद) लोक अदालत बाबत् माननीय न्यायालय के समक्ष वाद का वाद निम्नानुसार है कि :–

1. यह कि वादी बैंक .....आर.आर.बी. एक्ट 1976 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी है, जो बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत विधिवत् लायसेंस प्राप्त बैंकिंग कम्पनी है व वादी बैंक का शाखा कार्यालय, बैंक ..... शाखा..... ..... तहसील..... जिला.....
(छ.ग.) पर स्थित है, एवं शाखा प्रबंधक श्री .....को यह वाद प्रस्तुत करने के लिये ..... द्वारा अधिकृत किया गया है ।

2. यह कि प्रतिवादी उपरोक्त उल्लेखित पते पर निवासरत है, प्रतिवादी ने बैंक..... ..... से ..... उद्देश्य हेतु ऋण प्राप्त किया जसका खाता नम्बर ..... है और जो ऋण मय ब्याज किश्तों में भुगतान करना था लेकिन प्रतिवादी के द्वारा उक्त भुगतान करार अनुसार नियमित रूप से नहीं किया गया है और उससे आज दिनांक तक बकाया किश्तों की राशि रू..... लेना निकलती है इस राशि की अदायगी होने पर प्रतिवादी का ऋण खाता नियमित हो जायेगा । वर्तमान में प्रतिवादी के ऋण खते में रू. ..... का ऋण शेष है ।

3. यह कि प्रतिवादी को समय–समय पर बैंक ने बकाया राशि के बारे में सूचित किया परन्तु प्रतिवादी सूचना के अनदेखी करता रहा । प्रतिवादी को वादी बैंक की ओर से समय–समय पर सूचित किया जाता रहा ।

4. यह कि प्रतिवादी ने लोन की प्राप्ति पश्चात् भी वादी बैंक को वाद प्रस्तुती दिनांक तक वैधानिक रूप से बकाया किश्तों एवं व्यय एवं चार्जेस की देय राशि रू..... ..... का भुगतान नहीं किया है इसलिये वाद कारण उत्पन्न हुआ है और वादी का शाखा कार्यालय तहसील .....जिला ..... (छ.ग.) में स्थित होने के कारण वाद का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है ।

प्रार्थना

अतः विनम्र प्रार्थना है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित ऋण राशि के संबंध में उत्पन्न विवाद की स्थिति का प्री–लिटिगेशन स्तर पर समक्ष लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने की कृपा करें ।

आवेदक

स्थान : .....
दिनांक : .....

बैंक–
द्वारा – सक्षम अधिकारी
नाम –
पदनाम –

ORDER SHEET

प्री लिटिगेशन प्रकरण क्रं.....

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर छ0ग0

.....विरूद्ध.....

आदेश या कार्यवाही दिनांक	**पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश या कार्यवाही**	पक्षकार या अधिवक्ता के
	आवेदक बैंक द्वारा यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 19 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत अनावेदक के विरूद्व बकाया ऋण राशि .....रूपये के वसूली हेतु अनावेदक के विरूद्व लोक अदालत में वादपूर्व निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र की अंर्तवस्तुओं के अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित हो रहा है कि विवाद का प्री–लिटिगेशन स्तर पर विधि मान्य निराकरण किया जा सकता है। अतः उक्त आवेदन प्री–लिटिगेशन प्रकरण पंजी में पंजीबद्व किया जावे। यह प्रकरण आगामी राष्ट्रीय/वृहद/लोक अदालत की गठित खंडपीठ के समक्ष दिनांक ..... को रखा जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहित अनावेदक को नोटिस जारी किया जावे। **सचिव** **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,** **कांकेर** यह प्री–लिटिगेशन प्रकरण लोक अदालत की इस खंडपीठ के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत हुआ। आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी ....उप. अनावेदक..... उप0/अनु0। उभय पक्ष की पहचान तस्दीक की गई। उभय पक्षों द्वारा राजीनामा किया गया/नहीं किया गया। अधिनिर्णय पारित कर उभय पक्षों को एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई। आवेदक के निवेदन पर प्रकरण पुनः पेश करने/ सक्षम कार्यवाही करने/विवाद के अन्य वैकल्पिक समाधान के तहत कार्यवाही करने की छुट के साथ निराकृत। प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को वापस किया जावे। **पीठासीन अधिकारी** **खंडपीठ** **क्रमांक.....** प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। **सचिव** **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर**	

कार्यालय – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.

नोटिस

प्रति,

नाम.....
पिता का नाम .....
पता .....
जिला .....

विषय :– लोक अदालत में उपस्थिति की सूचना पत्र ।

इस सूचना पत्र के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि शाखा प्रबंधक ....जिला.उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार..... रूपये की बकाया ऋण की वसूली का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्रीलिटिगेशन मामले के रूप में लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौता पर आधारित निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

अतः एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में उभयपक्ष के मध्य द्वितीय नेशनल लोक अदालत के पूर्व समझौता पर चर्चा (प्रीसिटिंग) के लिये दिनांक . ..... को प्रातः 11.00 बजे स्थान..... ..... में उपस्थित होवें ।

उपरोक्त प्रीसिटिंग में उभयपक्ष के बीच सम्पन्न चर्चा के अनुसार समझौता की संभावना होने पर नेशनल लोक अदालत दिनांक .....को 11.00 बजे स्थान..... ..... जिला उत्तर बस्तर कांकेर में आयोजित लोक अदालत की खण्डपीठ क0.....के समक्ष उपस्थित होवें ।

आप आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रीलिटिगेशन आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहें तो उक्त नियत तिथि के पूर्व इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

संलग्नः आवेदन पत्र की प्रति ।

स्थानः
दिनांक :..... जारीकर्ता प्राधिकारी

समक्ष : लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)/
तालुक विधिक सेवा समिति.....

प्रीलिटिगेशन प्र0क0.....

.....
..... आवेदक

—: विरूद्ध :—

.....
..... अनावेदक

राजीनामा आवेदन

(1) यह कि आवेदक..... द्वारा अनावेदक..... के विरूद्ध विषय.....के संबंध में प्रीलिटिगेशन मामला प्रस्तुत किया गया है ।

(2) आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निम्नानुसार शर्तों पर सुलह समझौता सम्पन्न हुआः—

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(3) यह समझौता उभयपक्ष के मध्य बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छयापूर्वक सुलह समझौता से सम्पन्न हुआ है जिसके आधार पर उभयपक्ष प्रकरण लोक अदालत के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत करते हैं ।

अतः राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण निराकरण करने की कृपा करें ।

दिनांकः हस्ताक्षर
स्थान

आवेदक पक्ष के.....

अनावेदक पक्ष के.....

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम .....

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन..... ..... प्राधिकरण / .....समिति द्वारा आयोजित)

याची / वादी / परिवादी :

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी :

.....न्यायालय / प्राधिकरण / समिति की कार्यवाही संख्या:.....

उपस्थिति :–

न्यायिक अधिकारी / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम :

सदस्यों का नाम : (1)

(2)

–: अधिनिर्णय :–

पक्षकारो के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले / विषय पर समझौता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णिय पारित किया जाता है :

आवेदक को प्रस्तुत वादानुसार राशि ..... रूपये अनावेदक से खाता क्रमांक..... ... के संदर्भ में बैंकिंग नियमानुसार प्राप्त करनी थी। यह कि आज दिनांक को दोनों पक्षकारों के मध्य राशि..... रूपये में समझौता हुआ है। यह कि इस समझौता राशि में से अनावेदक द्वारा आवेदक बैंक को राशि..... रूपये अदा की गई है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई हो तो यह वापस की जाएगी ।

याची / वादी / परिवादी

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

न्यायिक अधिकारी सदस्य सदस्य

दिनांक: (प्राधिकरण / समिति की मुद्रा)

कार्यालय – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.

नोटिस

प्रति,

नाम.....
पिता का नाम .....
पता .....
जिला .....

विषय :– लोक अदालत में उपस्थिति की सूचना पत्र ।

इस सूचना पत्र के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि शाखा प्रबंधक देना बैंक अंबागढ़चौकी शाखा जिला.उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार ..... रूपये की बकाया ऋण की वसूली का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्रीलिटिगेशन मामले के रूप में लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौता पर आधारित निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

अतः एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत के **समझौता पर पूर्व चर्चा (प्रीसिटिंग) के लिये दिनांक ..... को प्रातः 11.00 बजे स्थान शाखा .....** जिलाउत्तर बस्तर कांकेर में उपस्थित होवें ।

उपरोक्त प्रीसिटिंग में उभयपक्ष के बीच सम्पन्न चर्चा के अनुसार समझौता की संभावना होने पर **नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 दिसंबर 2015 को 11.00 बजे स्थान जिला न्यायालय परिसर जिलाउत्तर बस्तर कांकेर में आयोजित लोक अदालत की खण्डपीठ क0.....के समक्ष उपस्थित होवें ।**

आप आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रीलिटिगेशन आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहें तो उक्त नियत तिथि के पूर्व इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

संलग्नः आवेदन पत्र की प्रति ।

स्थानः
दिनांक :..... जारीकर्ता प्राधिकारी

कार्यालय – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.

नोटिस

प्रति,

नाम.....
पिता का नाम .....
पता .....
जिला .....

विषय :– लोक अदालत में उपस्थिति की सूचना पत्र ।

इस सूचना पत्र के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि शाखा प्रबंधक .... शाखा जिला.उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार ..... रूपये की बकाया ऋण की वसूली का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्रीलिटिगेशन मामले के रूप में लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौता पर आधारित निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

अतः एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत के **समझौता पर पूर्व चर्चा (प्रीसिटिंग) के लिये दिनांक ..... को प्रातः 11.00 बजे स्थान शाखा .....**जिलाउत्तर बस्तर कांकेर में उपस्थित होवें ।

उपरोक्त प्रीसिटिंग में उभयपक्ष के बीच सम्पन्न चर्चा के अनुसार समझौता की संभावना होने पर **नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 दिसंबर 2015 को 11.00 बजे स्थान जिला न्यायालय परिसर जिलाउत्तर बस्तर कांकेर में आयोजित लोक अदालत की खण्डपीठ क0.....के समक्ष उपस्थित होवें ।**

आप आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रीलिटिगेशन आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहें तो उक्त नियत तिथि के पूर्व इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

संलग्नः आवेदन पत्र की प्रति ।

स्थानः
दिनांक :..... जारीकर्ता प्राधिकारी

ORDER SHEET

प्री लिटिगेशन प्रकरण क्रं.....

समक्ष– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....

.....विरूद्ध.....

आदेश या कार्यवाही दिनांक	**पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश या कार्यवाही**	जहां आवश्यक हो पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर
	यह प्री–लिटिगेशन प्रकरण लोक अदालत की इस खंडपीठ के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत हुआ। आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी .... उपस्थित। अनावेदक.....उप0/अनु0। उभय पक्ष की पहचान तस्दीक की गई। उभय पक्षों द्वारा राजीनामा किया गया/नहीं किया गया। अधिनिर्णय पारित कर उभय पक्षों को एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई। आवेदक के निवेदन पर प्रकरण पुनः पेश करने/ सक्षम कार्यवाही करने/विवाद के अन्य वैकल्पिक समाधान के तहत कार्यवाही करने की छुट के साथ निराकृत। प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को वापस किया जावे। पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रमांक..... प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर(छ0ग0)	

समक्ष :– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....
स्थान का नाम..... कांकेर

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा आयोजित)

प्री–लिटिगेशन प्रकरण क्रमांक.....

आवेदक –.....

.....

अनावेदक –.....

.....

उपस्थिति :–

न्यायिक अधिकारी का नाम :.....

सदस्यों का नाम 1–.....

2–.....

//अधिनिर्णय//

पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद को लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें आवेदक संस्था को अनावेदक से हुये अुनबंध अनुसार पानी/टैक्स/बकाया बिल की राशि ..... प्राप्त करनी थी। पक्षकारों ने मामले पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है। परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

.....

.....

.....

हस्ताक्षर :–

आवेदक..... अनावेदक.....

न्यायिक/पीठासीन अधिकारी सदस्य सदस्य
खंडपीठ क्रं.....

दिनांक – 12.12.2015

ORDER SHEET

प्री लिटिगेशन प्रकरण क्रं.....

समक्ष– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....

.....विरूद्ध..मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत.....

आदेश या कार्यवाही दिनांक	**पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश या कार्यवाही**	जहां आवश्यक हो पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर
	.....अंतर्गत धारा 19 वि.से.प्रा.अधि.1987 के तहत अनावेदक के विरूद्व मनरेगा की बकाया राशि..... के भुगतान हेतु अनावेदक के विरूद्व लोक अदालत में वाद पूर्व निराकरण हेतु पेश किया गया है। अतः आवेदन प्री–लिटिगेशन प्रकरण पंजी में दर्ज हो। प्रकरण आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.12.2015 की गठित खंडपीठ के समक्ष पेश हो। अनावेदक को नोटिस जारी हो। सचिव जि.वि.से.प्रा. कांकेर आवेदक .....उपस्थित अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ....जिला/जनपद पंचायत.....उपस्थित। उभय पक्ष की पहचान तस्दीक की गई। उभय पक्षों द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अधिनिर्णय पारित कर उभय पक्षों को एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई। प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को वापस किया जावे। पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रमांक..... प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर(छ0ग0)	

समक्ष :– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....
स्थान का नाम..... कांकेर

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा आयोजित)

प्री–लिटिगेशन प्रकरण क्रमांक.....

आवेदक –.....

.....

अनावेदक – मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला/जनपद पंचायत..... जिला कांकेर

उपस्थिति :–

न्यायिक अधिकारी का नाम :.....

सदस्यों का नाम 1–.....

2–.....

//अधिनिर्णय//

पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद को लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें आवेदक को अनावेदक से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) के तहत बकाया मजदूरी रूपये .....प्राप्त करनी थी। पक्षकारों ने मामले पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है। परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1– उभय पक्षों के मध्य राशि..... पर समझौता हुआ है।

2– अनावेदक द्वारा मनरेगा की बकाया राशि..... का भुगतान किया गया।

3– शेष राशि..... को ..... माह में अनावेदक, आवेदक को भुगतान करेगा।

हस्ताक्षर :–

आवेदक..... अनावेदक.....

न्यायिक/पीठासीन अधिकारी सदस्य सदस्य
खंडपीठ क्रं.....

दिनांक – 12.12.2015

ORDER SHEET

प्री लिटिगेशन प्रकरण क्रं.....

समक्ष– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....

.....विरूद्ध..मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत.....

आदेश या कार्यवाही दिनांक	**पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश या कार्यवाही**	जहां आवश्यक हो पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर
	अंतर्गत धारा 19 वि.से.प्रा.अधि.1987 के तहत अनावेदक के विरूद्व मनरेगा की बकाया राशि..... के भुगतान हेतु अनावेदक के विरूद्व लोक अदालत में वाद पूर्व निराकरण हेतु पेश किया गया है। अतः आवेदन प्री–लिटिगेशन प्रकरण पंजी में दर्ज हो। प्रकरण आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.12.2015 की गठित खंडपीठ के समक्ष पेश हो। अनावेदक को नोटिस जारी हो। सचिव जि.वि.से.प्रा. कांकेर आवेदक .....उपस्थित अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ....जिला/जनपद पंचायत.....उपस्थित। उभय पक्ष की पहचान तस्दीक की गई। उभय पक्षों द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अधिनिर्णय पारित कर उभय पक्षों को एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई। प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को वापस किया जावे। पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रमांक..... प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर(छ0ग0)	हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर अनावेदक

ORDER SHEET

प्री लिटिगेशन प्रकरण क्रं.....

समक्ष– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....

.....**विरूद्ध**..मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा(पखांजूर)

आदेश या कार्यवाही दिनांक	**पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश या कार्यवाही**	जहां आवश्यक हो पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर
	..... अंतर्गत धारा 19 वि.से.प्रा.अधि.1987 के तहत अनावेदक के विरूद्व मनरेगा की बकाया राशि..... के भुगतान हेतु अनावेदक के विरूद्व लोक अदालत में वाद पूर्व निराकरण हेतु पेश किया गया है। अतः आवेदन प्री–लिटिगेशन प्रकरण पंजी में दर्ज हो। प्रकरण आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.12.2015 की गठित खंडपीठ के समक्ष पेश हो। अनावेदक को नोटिस जारी हो। अध्यक्ष ता.वि.से.स. पखांजूर आवेदक .....उपस्थित अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ....जिला/जनपद पंचायत.....उपस्थित। उभय पक्ष की पहचान तस्दीक की गई। उभय पक्षों द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अधिनिर्णय पारित कर उभय पक्षों को एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई। प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को वापस किया जावे। पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रमांक..... प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। अध्यक्ष ता.वि.से.स. पखांजूर	हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर अनावेदक

ORDER SHEET

प्री लिटिगेशन प्रकरण क्रं.....

समक्ष– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....

.....विरूद्ध..मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत भानु.पुर/अंतागढ़/दुर्गुकोदल

आदेश या कार्यवाही दिनांक	**पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश या कार्यवाही**	जहां आवश्यक हो पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर
	आवेदक ..... द्वारा यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 19 वि.से.प्रा.अधि.1987 के तहत अनावेदक के विरूद्व मनरेगा की बकाया राशि..... के भुगतान हेतु अनावेदक के विरूद्व लोक अदालत में वाद पूर्व निराकरण हेतु पेश किया गया है। अतः आवेदन प्री–लिटिगेशन प्रकरण पंजी में दर्ज हो। प्रकरण आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.12.2015 की गठित खंडपीठ के समक्ष पेश हो। अनावेदक को नोटिस जारी हो। अध्यक्ष ता.वि.से.स. भानुप्रतापपुर आवेदक .....उपस्थित अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ....जिला/जनपद पंचायत.....उपस्थित। उभय पक्ष की पहचान तस्दीक की गई। उभय पक्षों द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अधिनिर्णय पारित कर उभय पक्षों को एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई। प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को वापस किया जावे। पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रमांक..... प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। अध्यक्ष ता.वि.से.स. भानुप्रतापपुर	हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर अनावेदक

राष्ट्रीय लोक अदालत

स्थान – ..... दिनांक – .....

संबंधित न्यायालय का नाम .....

न्यायालय का सिविल प्रकरण क्रमांक – .....

.....

.....

.... वादी/वादीगण

–00 विरूद्व 00–

.....

.....

.... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

–: <u>आदेश</u> :–

इस वाद में उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पेश किया गया। उभय पक्षों से पूछे जाने पर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सहमति से बिना किसी दबाव के राजीनामा किया जाना व्यक्त किया। उभय पक्ष के मध्य आपसी समझौतेनामा को देखते हुये उनकी ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या जो सूची अनुसार कम हो, वह देय होगी। राजीनामा आवेदन/समझौतानामा इस अधिनिर्णय का अभिन्न भाग होगा। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित अवधि में अभिलेखागार जमा हो।

पक्षकार के हस्ताक्षर सदस्य के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रं.....
उत्तर बस्तर कांकेर छ0ग0

राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक..... उत्तर बस्तर कांकेर छ0ग0

राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि.....

1. संबंधित न्यायालय का नाम :– .....
2. प्रकरण क्रमांक :– .....
3. पक्षकारों के नाम :– .....

.....

.....

.....वादी/वादीगण

.....

.....

.....प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

अधिनिर्णय/आदेश

1. वादी/वादीगण ने प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के विरूद्व..... ..... का दावा प्रस्तुत किया है।
2. वादी/वादीगण का दावा संक्षेप में इस प्रकार है.....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3 वादी/वादीगण एवं प्रतिवादी/प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा करने की अनुमति बाबत् आवेदन पेश किया।

4 उभय पक्ष ने निम्नलिखि शर्तो के अधीन राजीनामा करना व्यक्त किया है;

1–.....

2–.....

3–.....

4–.....

5 उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा विधिक रूप से उचित होने से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया और पृथक से राजीनामा डिक्री पारित की गई जो इस अधिनिर्णय का अभिन्न भाग है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित अवधि में अभिलेखागार जमा हो।

अधिनिर्णय/आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त किया	हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी कांकेर	हस्ताक्षर सदस्य	हस्ताक्षर सदस्य

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नेशनल लोक अदालत

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.....उपस्थित

आरोपी.....सहित .....अधिवक्ता उप.

अपराध से पीड़ित व्यक्ति.....उपस्थितं

उभय पक्ष द्वारा एक राजीनामा आावेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि उनका राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामा हो गया है।

राजीनामा आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के हस्ताक्षर है।

आरोपी..... तथा पीड़ित व्यक्ति.....द्वारा किये गये राजीनामा आवेदन पर उभय पक्ष से पूछताछ की गई। उभय पक्ष द्वारा बिना किसी दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया गया।

आरोपी के विरूद्व भा.दं.सं. की धारा .....के आरोप में विचारण किया जा रहा है। उक्त आरोप न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। राजीनामा की अनुमति देने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है। अतः पीड़ित व्यक्ति को राजीनामा की अनुमति दी जाती है।

प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है। राजीनामा का प्रभाव आरोपी की भा.दं.सं. की धारा ..... के आरोप से दोषमुक्ति होगा।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति ..... आदि संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार जमा हो।

पक्षकार के हस्ताक्षर सदस्य के हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी
खंडपीठ क्रं.....

नेशनल लोक अदालत

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.....उपस्थित

आरोपी.....सहित .....अधिवक्ता उप.

अपराध से पीड़ित व्यक्ति.....उपस्थितं

उभय पक्ष द्वारा एक राजीनामा आावेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि उनका राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामा हो गया है।

राजीनामा आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के हस्ताक्षर है।

आरोपी..... तथा पीड़ित व्यक्ति.....द्वारा किये गये राजीनामा आवेदन पर उभय पक्ष से पूछताछ की गई। उभय पक्ष द्वारा बिना किसी दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया गया।

आरोपी के विरूद्व भा.दं.सं. की धारा .....के आरोप में विचारण किया जा रहा है। उक्त आरोप बिना न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है।

प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है। राजीनामा का प्रभाव आरोपी की भा.दं.सं. की धारा ..... के आरोप से दोषमुक्ति होगा।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति ..... आदि संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार जमा हो।

पक्षकार के हस्ताक्षर सदस्य के हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी
खंडपीठ क्रं.....

नेशनल लोक अदालत

वादी/वादीगण .....सहित .....अधिवक्ता उप.

प्रतिवादी/प्रतिवादीगण .....सहित .....अधिवक्ता उप.

उभय पक्ष द्वारा एक राजीनामा आावेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि उनका राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामा हो गया है तथा वे प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते।

राजीनामा आवेदन के संबंध में उभय पक्ष से पूछताछ की गई। उभय पक्ष द्वारा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक करना व्यक्त किया गया।

राजीनामा आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के हस्ताक्षर है तथा राजीनामा स्वीकार करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण का निराकरण लिखित राजीनामा आवेदन के अनुसार किया जाता है। लिखित राजीनामा आवेदन इस अंतिम आदेश का भाग होगा।

उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार जमा हो।

पक्षकार के हस्ताक्षर　　सदस्य के हस्ताक्षर　　पीठासीन अधिकारी
खंडपीठ क्रं.....

प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
उत्तर बस्तर कांकेर(छ0ग0)

ORDER SHEET

प्री लिटिगेशन प्रकरण क्रं.....

समक्ष– नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.....

मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांकेर**...विरूद्ध.....**

आदेश या कार्यवाही दिनांक	**पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश या कार्यवाही**	जहां आवश्यक हो पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर
	आवेदक मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांकेर द्वारा यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 19 वि.से.प्रा.अधि.1987 के तहत अनावेदक के विरूद्व जलकर की बकाया राशि..... के भुगतान हेतु अनावेदक के विरूद्व लोक अदालत में वाद पूर्व निराकरण हेतु पेश किया गया है। अतः आवेदन प्री–लिटिगेशन प्रकरण पंजी में दर्ज हो। प्रकरण आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक ....की गठित खंडपीठ के समक्ष पेश हो। अनावेदक को नोटिस जारी हो। सचिव जि.वि.से.प्रा. कांकेर आवेदक .....उपस्थित अनावेद.....उपस्थित/अनुपस्थित उभय पक्ष की पहचान तस्दीक की गई। उभय पक्षों द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अधिनिर्णय पारित कर उभय पक्षों को एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई। प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को वापस किया जावे। पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रमांक..... प्रकरण लोक अदालत की खंडपीठ से प्राप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर बस्तर कांकेर(छ0ग0)	हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर आवेदक/हितग्राही हस्ताक्षर अनावेदक

नेशनल लोक अदालत दिनांक–...../...../.....

–:: नोटिस ::–

प्रति,

.....

.....

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में दिनांक..... माह.....सन्.....को **जिला/सिविल न्यायालय प्रांगण**..... .....में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है।

उक्त अदालत में आपका प्रकरण क्रमांक.....(पक्षकार)..... विरूद्ध.....नेशनल लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखा गया है। आप नेशनल लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण हेतु दिनांक.....को उपस्थित होकर अपने प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने के लिए सहमत हों तो, दिनांक.....को **प्रातः 11.00 बजे** दिन.....को **जिला/सिविल न्यायालय प्रांगण**.....में उपस्थित होवें।

न्यायालय की मुहर